राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

कृपया विभाग द्वारा संभाग स्तर पर निर्मित नारी निकेतन भवनों में विधवा/परित्यक्ता/निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण देने हेतु महिला स्वयंसिद्धा योजना अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालन हेतु पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

स्वंयसेवी संस्था हेतु पात्रता

1. आवेदन से पूर्व संगठन/संस्था/ट्रस्ट गत तीन वर्षों पूर्व पंजीकृत होने तथा संचालित होने का प्रमाण पत्र।
2. संस्था व्यक्तिगत लाभ के लिए नही चलाई जायेगी।
3. लक्ष्य तथा उद्देश्यों में महिला कल्याण शामिल होना।
4. प्रशासनिक संरचना विधिवत गठित प्रबन्धन/कार्यकारी समिति का होना आवश्यक है।
5. राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय/विभाग/मंत्रालय/निगम/स्वायत्तशाषी संस्था द्वारा संचालक/संस्था/ट्रस्ट को पूर्व में दण्डित अथवा काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र।
2. संस्था की संबंधित संभाग के जिलाधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा।
3. स्वयंसेवी संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
4. स्वंयसेवी संस्था के विधान की प्रति।
5. नवीनतम कार्यकारिणी की प्रमाणित सूची।
6. संस्था द्वारा महिला कल्याण के क्षेत्र में किये गये कार्यो के अनुभवों की प्रतियां।
7. गत तीन वर्षों का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित ऑडिट रिपोर्ट।
8. गत तीन वर्षों का आय–व्यय विवरण ।
9. गत तीन वर्षों की प्रगति रिपोर्ट।
10. पेन नं. एवं बैंक स्टेटमेंट।
11. राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय/विभाग/मंत्रालय/निगम/स्वायत्तशाषी संस्था द्वारा संचालक/संस्था/ट्रस्ट को पूर्व में दण्डित अथवा काली सूची में सम्मिलित नहीं किया गया हो, इस आशय का नॉन ज्यूडिशियल शपथ पत्र।

योजना संचालन की शर्तें

1. नारी निकेतन भवन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्वामित्व में रहेगें।
2. भवन के भवनों की देख–रेख व सुरक्षा व्यवस्था अधीक्षक नारी निकेतन के अधीन होगी।
3. बिजली/पानी के बिलों का भुगतान अधीक्षक नारी निकेतन द्वारा किया जावेगा।
4. केन्द्र हेतु पंलग, बिस्तर, बर्तन आदि की व्यवस्था अधीक्षक नारी निकेतन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी।
5. केन्द्र में प्रवेश लेने वाली महिलाओं व उनके बच्चों के आवास हेतु स्थान नारी निकेतन भवन में अधीक्षक नारी निकेतन उपलब्ध करवायेगें।
6. विधवा, परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं का सर्वे स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जावेगा।*

(* बिन्दु 6 में लाभार्थी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :–)

(अ) परिवार एवं सम्बन्धियों द्वारा त्यागी गई विधवा, परित्यक्ता महिलायें जो उपेक्षित है और जो धार्मिक/सार्वजनिक स्थानों पर शोषण का शिकार है।

(ब) कारावास से मुक्त ऐसी महिलायें जिन्हें परिवार से कोई सहायता नहीं मिल रही हो।

(स) प्राकृतिक आपदा से गृह विहीन एवं सामाजिक तथा आर्थिक सहायता से वंचित महिलायें।

(द) देह व्यापार/शोषण से मुक्त कराई गई महिलायें/किशोरियाँ अथवा देह व्यापार स्थानों से पलायन की हुई महिलायें/किशोरियाँ अथवा यौन शोषण की शिकार महिलाऐं/किशोरियाँ जिन्हें परिवार द्वारा स्वीकार नही किया जा रहा हो अथवा जो अपने परिवार में अन्य कारणों से वापस नही जाना चाहती हो।

(य) आतंकवाद/कट्टर पंथियों के उत्पाद से ग्रस्त ऐसी महिलायें जिन्हें उनके परिवार का सहारा नही हो ओर जो आर्थिक रूप से जीविका उर्पाजन नही करती हो।

(र) मानसिक रूप से विमन्दि महिलायें (Execpt for the psychotic Categories who require care in special environment in mental hospitals)जिन्हें परिवार व सगे–सम्बन्धियों का सहारा नही हो।

(ल) HIV/AIDS से पीड़ित महिलायें जिन्हें परिवार द्वारा तिरष्कृत कर दिया गया हो अथवा ऐसी महिलायें जिनके पतियों का जीवन HIV/AIDS के कारण समाप्त हो चुका हो ओर जिन्हें सामाजिक/आर्थिक सहारा प्राप्त ना हो।

(व) अन्य संकटग्रस्त महिलायें।

7. एक महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र में 50 महिलाओं को प्रवेश दिया जा सकेगा। केन्द्र संचालन हेतु न्यूनतम 25 महिलाओं का केन्द्र में प्रवेषित होना अनिवार्य होगा।
8. महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र में महिलाओं का प्रवेश, प्रवेश सलाहकार समिति (उपनिदेशक/सहायक, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को समिति का सदस्य एवं अध्यक्ष, अधीक्षक नारी निकेतन तथा सचिव/अध्यक्ष सम्बन्धित स्वयंसेवी संस्था

की कमेटी के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रदान किया जायेगा। समिति की अध्यक्षता उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी। संस्था के सचिव समिति के सदस्य सचिव होगें। प्रवेश सलाहकार समिति की बैठक में किसी एक सदस्य की अनुपस्थिति की स्थिति में दो सदस्यों द्वारा किया गया निर्णय मान्य होगा।

9. संस्था में प्रवेश लेने वाली महिलाओं एवं उनके बच्चों के भोजन, खाने पीने, गणवेष व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयंसेवी संस्था द्वारा की जायेगी।
10. भोजन शाला का संचालन स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जायेगा।
11. केन्द्र में प्रवेशित महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था महिलाओं की योग्यता/कार्यक्षमता के आधार पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
12. प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 3 माह एवं अधिकतम 1 वर्ष की होगी।
13. प्रशिक्षण जन शिक्षण संस्थान, जयपुर एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराने की व्यवस्था स्वयं सेवी संस्था द्वारा की जायेगी।
14. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिलाने अथवा स्वरोजगार प्रारम्भ कराने हेतु बैंक से ऋण दिलाने की कार्यवाही स्वयंसेवी संस्था को करनी होगी।
15. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली किसी भी आवासनी को अलग से कमरा नहीं दिया जायेगा। डोरमेट्री में ही इन्हें आवास करना होगा। प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर इन्हें आवास खाली करना होगा ताकि नई प्रवेषित महिलाओं को आवासीय स्थान प्राप्त हो सकें।
16. प्रशिक्षण कार्यक्रम की त्रैमासिक समीक्षा प्रवेश सलाहकार समिति द्वारा की जावेगी।
17. आवासनियों के 10 वर्ष तक के बच्चों को संस्था परिसर में अलग आवासीय स्थान उपलब्ध कराया जायेगा एवं 10 वर्ष से बड़ी आयु के बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के किशोर गृहों/बालिका गृहों में रखा जा सकेगा।
18. प्रवेश सलाहकार समिति की समीक्षा तक सिफारिश के आधार पर संस्था को अनुदान प्रदान किया जायेगा।

19. स्वयं सेवी संस्था को निमयानुसार राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जावेगाः–

क्र सं.	पद/व्यय का विवरण	पदों की संख्या	मासिक व्यय	वार्षिक व्यय
1	चिकित्सक (अंशकालीन)	01	3000/–	36000/–
2	क्राफ्ट टीचर	02	10000/–	120000/–
	योग (अ)		13000/–	156000/–
(ब) 1	**अन्य आवर्ती व्यय** कच्चे माल के क्रय हेतु (100रू प्रति महिला प्रति		5000/–	60000/–

	माह 50 महिलाओं के लिए)		
2	निवासी का भोजन, लिपिक, रसोईयां, चौकीदार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी. सफाई कार्य इत्यादि तथा समाचार पत्र–पत्रिकाऐं (675 रू प्रति महिला प्रति माह) 50 महिलाओं हेतु	33750/–	405000/–
	योग (ब)	38750/–	465000/–
	कुल (अ + ब)	51750/–	621000/–

20. स्वयंसेवी संस्था को प्रत्येक तिमाही का अनुदान प्रवेश सलाहकार समिति की समीक्षा एवं सिफारिश के उपरान्त ही प्रदान किया जायेगा।

21. संस्था को प्रत्येक वर्ष की द्वितीय किस्त उन्हें गत वर्ष उपलब्ध कराई गई राशि का चार्टेड अकाउटेन्ट द्वारा अनुदान से सम्बन्धित अंकेक्षित वार्षिक लेखे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही द्वितीय किस्त की स्वीकृति जारी की जायेगी।

22. वार्षिक लेखे व उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अनुसार संस्था से वसूल की जाने वाली अथवा दिये गये अनुदान में से उपयोग में नहीं ली गई राशि का समायोजन आगामी वर्ष की देय द्वितीय किस्त में किया जायेगा।

23. योजना के उद्देश्यों की पूर्ति नही किये जाने अथवा संस्था का कार्य संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में विभाग तुरन्त प्रभाव से संस्था की मान्यता समाप्त कर उसे दिये गये अनुदान की वसूली करने के लिए अधिकृत होगा।

24. स्वयंसेवी संस्था द्वारा प्रवेशित महिलाओं के सम्बन्ध में (जैसे प्रवेशित महिला की व्यक्तिगत पत्रावली, क्या–क्या प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है का विवरण, उपस्थिति पंजिका, भोजनशाला रिकार्ड आदि) रिकार्ड संधारित करेगी।

25. संस्था को प्रदान किये गये अनुदान का मदवार लेखा–आय व्यय रिकार्ड संस्था द्वारा पृथक–पृथक संधारित किये जायेगें।

26. प्रवेश सलाहकार समिति अथवा अधिकारी के निरीक्षण के समय मांगे जाने पर संस्था द्वारा समस्त रिकार्ड निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।